तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 35/2024 लोकेन्द्र सिंह बनाम प्रभात सिंह वगै०	नम्बर अहकाम हुक्म में
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित। प्रा० पत्र वादीगण मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 35 / 2024

1. लेकेन्द्र सिंह
2. भूपेन्द्र सिंह पुत्रान स्व0 शिवसिंह जातियान जाट निवासी बरकौली हाल आबाद बासन गेट भरतपुर राज0।

...................वादीगण

बनाम

1. प्रभात सिंह पुत्र श्यामसिंह
2. नरेन्द्र कौर पत्नी श्यामसिंह जाति जाट निवासी बरकौली हाल आबाद बासनगेट भरतपुर
3. कामिनी पत्नी स्व0 प्रेमसिंह
4. अजयसिंह पुत्र स्व0 प्रेमसिंह
5. अमित पुत्र स्व0 प्रेमसिंह जाति जाट निवासी बरकौली हाल आबाद तिलक नगर भरतपुर
6. गंगासिंह पुत्र उदयसिंह जाति जाट निवासी बरकौली हाल आबाद चर्च के पास मौहल्ला गोपालगढ भरतपुर।
7. मोहनसिंह पुत्र उदयसिंह जाति जाट निवासी बरकौली हाल आबाद बासनगेट भरतपुर
8. मन्जू पत्नी स्व0 कमलसिंह
9. दीपा सिंह पुत्री कमलसिंह
10. प्रदीप सिंह पुत्र कमलसिंह
11. भूतेन्द्र सिंह उर्फ बेबी पुत्र उदयसिंह
12. शकुन्तला देवी पुत्री उदयसिंह जाति जाट निवासी बरकौली हाल आबाद बासनगेट भरतपुर।
13. तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर।

............प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट वादीगण
2. श्री गोरधन सिंह धनकर एडवोकेट प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांकः–29.08.2025**

वादीगण ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 01 / 0.50, 108 / 0.30, 119 / 0.33, 165 / 0.43, 195 / 0.17, 203 / 0.36, 205 / 0.06, 209 / 0.58, 250 / 0.07,

Bharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

360/0.39, 361/0.18, 368/0.30, 383/0.36, 390/0.13, 396/0.27, 397/0.24, 442/0.32, 517/0.07, 523/0.15, 55/0.46, 57/0.36, 616/0.11, 626/0.51है0 वाके ग्राम बरकौली तहसील उच्चैन में स्थित है जिसके वादी के पिता स्व0 शिवसिंह व प्रतिवादीगण के पूर्वज उदयसिंह एवं श्यामसिंह जाति जाट खातेदार काश्तकार रहे है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काबिज होकर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मनवट के आधार पर अपनी अपनी काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात अपने पीछे वादीगण को बतौर वारिस छोडा है जिनका मृतक शिवसिंह की आराजी में जन्म लेते ही हिस्सा व हित निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगा0 5 के पिता प्रेमसिंह का स्वर्गवास हो चुका है परन्तु उनके नाम दाखिल खारिज नहीं हुआ है एवं प्रतिवादी 8,9,10 के पिता स्व0 कमलसिंह का स्वर्गवास हो चुका है उनकी मृत्यू के पश्चात उनके हिस्से की आराजी में उनका हिस्सा व हित निहित हुआ है जो जन्म से ही प्राप्त है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा गैर कानूनी रूप से व गलत तरीके से उपरोक्त समस्त आराजी पर अकेले प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में विरासत के आधार पर कर दिया जबकि मुताबिक उत्ताराधिकार अधिनियम उक्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बराबर का हिस्सा व हित निहित है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने चाहिये थे तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद संख्या 2 में बर्णित आराजी में बहिस्सा मुताबिक कानून बराबर 1/14 हिस्सा में से 1/2-1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में अकेले प्रतिवादीगण के नाम हो रहे खातेदारी के इन्द्राज कलमजन किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित आराजी अविभाजित सम्पत्ति है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयान पर बराबर का हिस्सा व हित है तथा सम्पत्तियों का अभी तक बैधानिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ है तथा आराजीयान के हिस्से को लेकर आपस में विवाद रहता है तथा प्रतिवादीगण झगडा फसाद करते है जिस कारण अब आराजीयान का सम्मलित रू॰ से उपयोग व उपभोग करना सम्भव नहीं है जिस कारण बादीगण ने दिनांक 20.12.2022 को प्रतिवादीगण से सम्पत्ति का विभाजन करने एवं वादीगण का हिस्सा न्यारानूर करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी का विभाजन करने से इन्कार कर दिया इसलिये वादीगण जरिये न्यायालय वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित सम्मत्ति का मीट्स एण्ड बाउण्ड से विभाजन कराकर अच्छे में से अच्छा व बुरे में से बुरा अपना हिस्सा न्यारानूर करा पाने के अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री गोरधन सिंह धनकर एडवोकेट उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से इकबाल जबाव दावा पेश किया एवं प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर उक्त वाद पत्र को दिनांक 18.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार उच्चैन से दिनांक 04.06.2025 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

Bharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

उभयपक्ष के अधिवक्तागण के द्वारा उक्त प्रकरण को मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार उच्चैन से निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

कुरा नम्बर 1:— भूपेन्द्रसिंह, लोकेन्द्रसिंह पि0 शिवसिंह बहिवा0 जाति जाट सा0 देह खातेदार खसरा नम्बर 1/0.50, 165/0.43, 195/0.17, 209/1/0.29, 250/0.07, 360/0.39, 361/0.18, 368/0.30, 397/1/0.62, 517/0.07, 523/0.15, 55/1/0.23, 57/1/0.18, 616/1/0.05, 626/1/0.19 कुल किता 15 कुल रकवा 3.82है0।

कुरा नम्बर 2:— अजयसिंह धनकर 21/588 अमितसिंह धनकर 21/588 पि0 प्रेमसिंह बबीता पुत्री प्रेमसिंह हि0 21/588, कामिनी धनकर पत्नि प्रेमसिंह हि0 21/588 गंगासिंह पुत्र उदयसिंह हि0 84/588 मोहनसिंह पुत्र उदयसिंह हि0 84/588 भूतेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह हि0 84/588 नरेन्द्र कौर पत्नि श्यामसिंह हि0 42/588 प्रभातसिंह पुत्र श्यामसिंह 42/588 मंजू पत्नि कमलसिंह हि0 28/588 दीपासिंह पुत्री कमलसिंह 28/588 प्रदीपसिंह पुत्र कमलसिंह हिस्सा 28/588 शकुन्तलादेवी पुत्री उदयसिंह हि0 84/588 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन हिस्सा मोहनसिंह 84/588 आरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा भरतपुर खसरा नम्बर 108/0.30, 119/0.33, 203/0.36, 205/0.06, 209/2/0.29, 383/0.36, 39/0.13, 396/0.27, 397/2/0.62, 442/0.32, 55/2/0.23, 57/2/0.18, 616/2/0.06, 626/2/0.32 कुल किता 14 कुल रकवा 3.83है0

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वादी का बाद पत्र मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः—

वादपत्र वादीगण मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन मुताबिक कुरे रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाते संधारित करेंगे, भू–राजस्व निर्धारित करेंगे, कुरे रिपोर्ट एवं कुरे रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उच्चैन, भरतपुर
व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

लोकेन्द्र बनाम प्रभात वगै०

दावा बाबत् धारा 53, 188 RTA

मुकदमा नं. 35/2024 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री घनश्याम धाकड़ एड० मिनजानिब

श्री गोरधनसिंह धाकड़ एड० मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादीगण मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाते संधारित करेंगे, व राजस्व नियमित करेंगे, कुर्रे रिपोर्ट एवं कुर्रे रिपोर्ट के साथ संलग्न तरमीम नक्शा डिक्री का भाग रहेगा।

आज .... मुबलिग .... बाबत् ....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 07 वर्ष 2025 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

मुहर

ओहदा उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर.........		
महनताना वकील)पर..........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 35 / 2024

1. लेकेन्द्र सिंह
2. भूपेन्द्र सिंह पुत्रान स्व0 शिवसिंह जातियान जाट निवासी बरकौली हाल आबाद बासन गेट भरतपुर राज0।

....................वादीगण

बनाम

1. प्रभात सिंह पुत्र श्यामसिंह
2. नरेन्द्र कौर पत्नी श्यामसिंह जाति जाट निवासी बरकौली हाल आबाद बासनगेट भरतपुर
3. कामिनी पत्नी स्व0 प्रेमसिंह
4. अजयसिंह पुत्र स्व0 प्रेमसिंह
5. अमित पुत्र स्व0 प्रेमसिंह जाति जाट निवासी बरकौली हाल आबाद तिलक नगर भरतपुर
6. गंगासिंह पुत्र उदयसिंह जाति जाट निवासी बरकौली हाल आबाद चर्च के पास मौहल्ला गोपालगढ भरतपुर।
7. मोहनसिंह पुत्र उदयसिंह जाति जाट निवासी बरकौली हाल आबाद बासनगेट भरतपुर
8. मन्जू पत्नी स्व0 कमलसिंह
9. दीपा सिंह पुत्री कमलसिंह
10. प्रदीप सिंह पुत्र कमलसिंह
11. भूतेन्द्र सिंह उर्फ बेबी पुत्र उदयसिंह
12. शकुन्तला देवी पुत्री उदयसिंह जाति जाट निवासी बरकौली हाल आबाद बासनगेट भरतपुर।
13. तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर।

............प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए.

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)